भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 925

(दिनांक 13.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचारों के विरुद्ध सोशल मीडिया का विनियमन

925. श्री एस. आर. पार्थिबन:
श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री राजन बाबूराव विचारे:
कुमारी राम्या हरिदास:
श्री प्रदीप कुमार चौधरी:
श्री मनोज कोटक:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट/समाचार प्रकाशक ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरें चला रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में उपलब्ध विशेष प्रावधानों और अन्य तंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा देश में ऐसी भ्रामक अथवा फर्जी खबरों को रोकने/नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का फर्जी समाचारों का प्रसार करने, युवाओं को दिग्भ्रमित करने और विशेषकर जाति और धर्म के बारे में लोगों को उकसाने वाली प्रत्येक वेबसाइट को विनियमित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चिह्नित किए गए ऐसे मामलों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मुख्यधारा के राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर भ्रामक या फर्जी खबरों के प्रचलन का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार मीडिया घरानों के लिए विनियम बनाने के लिए एक पृथक विनियामक एजेंसी बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने के लिए आचार-संहिता और ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण-तंत्र का प्रावधान है। डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के पत्रकारिता आचरण के मानकों का पालन करना अपेक्षित है जिसमें सटीकता एवं निष्पक्षता और जाति, धर्म या समुदाय के संदर्भ से संबंधित विशिष्ट मानदंड हैं।

आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत, मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के प्रावधानों के तहत शामिल डिजिटल समाचार प्रकाशकों की सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करता है। दिसंबर, 2021 से मंत्रालय ने इन प्रावधानों के तहत डिजिटल समाचार प्रकाशकों के 104 यूट्यूब समाचार चैनलों, 45 वीडियोज और 25 सोशल मीडिया एकाउंटों/पोस्टों/ऐप्स/वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर 2019 में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के तहत एक फेक्ट चैक यूनिट स्थापित की है। यह यूनिट सरकारी नीतियों, पहलों और स्कीमों पर गलत जानकारियों को या तो स्वत: संज्ञान या शिकायतों के संदर्भ के तहत काउंटर करने के लिए अधिदेशित है। फेक्ट चैक यूनिट को वाट्सऐप (+918799711259), ईमेल (pibfactcheck@gmail.com), ट्विटर (@PIBFactcheck) और पीआईबी की वेबसाइट (www.pib.gov.in) के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता से पत्र/संदेश प्राप्त हुए हैं। एफसीयू ने इसकी स्थापना से 1405 मामलों में फेक्ट चैक किए हैं और ऐसे फेक्ट चैक के बारे में परिणामों को इसके सोशल मीडिया अकाउंटों पर पोस्ट किया।

आचार-संहिता के उल्लंघन से संबंधित राज्य-वार डाटा को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) से (च): केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रत्येक टीवी चैनल को इस अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा सरकार ने कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया है। जहां ऐसे उल्लंघन पाये जाते हैं वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

*****